b>

Title: Need to provide 'Pattas' to farmers whose lands were acquired for setting up Bharat Aluminium Company in Korba district, Chhatisgarh . -Laid.

डॉ0 चरणदास महंत (जांजगीर): अध्यक्ष महोदय, भारत अल्युमिनियम कं0 (बालको) द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए सन 1968-69 में ग्राम रिसदा पटवारी हलका नं0 4 तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के किसानों एवं मकान मालिकों की जमीन ली गयी थी।

इन किसानों की भूअर्जन अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्रति मकान मालिक को प0ह0नं0 4 खसरा नं0 422 रकबा 36.72 एकड़ घास जमीन (चराई) में प्रति मकान मालिक को 7 डिसमिल (सात) एवं खलियान के लिए 2 डिसमिल जमीन दिया गया, जिसमें किसान 1972-73 से यहां पर मकान बनाकर शेा जमीन में खेती एवं मजदूरी नौकरी पेशा करते आ रहे हैं। लेकिन इन्हें भू-स्वामी हक पट्टा अभी तक नहीं दिया गया है। किसानों द्वारा तीस वर्ा के अंदर कई बार शासन को, कलेक्टर को, कमिश्नर को एवं मंत्री लोगों को लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक इन किसानों को भू-स्वामी हक पट्टा नहीं दिया गया है।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि भूअर्जन अधिकारी के रिकार्ड के मुताबिक जितने किसानों की भूमि बालको कारखाना स्थापित करने के लिए अवाप्त की गयी है, उन्हें भू-स्वामी हक का पट्टा प्रत्येक किसान एवं मकान मालिक को 7 से 9 डिसमिल तक का पट्टा दिये जाने का कट करें।